

उत्तरांचल सरकार  
 वित्त अनुभाग—९  
 संख्या— २३०/XXVII(९)/स्टाम्प/२००६  
 देहरादून: दिनांक २१ जून, २००६  
अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ (अधिनियम संख्या १० वर्ष १८९७) की धारा के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (अधिनियम संख्या १६ वर्ष १९०८) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती सीमाओं में परिवर्तन सहित जिला टिहरी गढ़वाल में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नया उप-जिला, देवप्रयाग बनाते हैं और उप-जिला देवप्रयाग की सीमाओं को जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ-३ में दर्शाया गया है, विहित करते हैं:—

अनुसूची

(जिला टिहरी गढ़वाल का उप जिला)

क्र०सं०	नये उप-जिले का नाम	उप-जिले की सीमाएँ
१	२	३
१—	देवप्रयाग	देवप्रयाग की राजस्व तहसील

(इन्दु कुमार पाण्डे)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या— २३०(१)/XXVII(९)/स्टाम्प/२००६ तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

१. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
२. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तरांचल।
३. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
४. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग ४ खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये उसकी २०० प्रतियों शासन के वित्त अनुभाग-९ को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
५. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
६. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)  
 अपर सचिव।